

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

ठासीन अधिकारी- मनोज, आर.ए.एस.

क्रमांक - 106/23 प्रा-पञ्च

श्रीमती लालुडी जे. श्री बालुराम गुर्जर निवासी-गोडा जी काखेडा तहसील-माण्डल

-प्रार्थी

बनाम

- श्री लालु डे. हजारी गुर्जर निवासी-गोडा जी काखेडा तहसील-माण्डल
- श्री नारायण डे. गंगाराम गुर्जर निवासी-कोलीखेडा तहसील-माण्डल
- राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार सा.माण्डल तहसील-माण्डल

-विपक्षीय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक- 28.5.24

::आदेशः

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कोलीखेडा पटवार हल्का संतोफपुरा तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 7066/1, 7067/1 कुल किता 0.2 रकबा 0.6323 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के पक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 05.06.23 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेशः

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम कोलीखेडा पटवार हल्का संतोफपुरा तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 7066/1, 7067/1 कुल किता 0.2 रकबा 0.6323 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षण मेजा को 500 रुपये / - कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मौके पर कब्जे की यथार्थिती को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।



उपखण्ड अधिकारी
माण्डल